sell the land, surplus to its requirements, in accordance with the procedure laid down by the Government. The procedure includes the stipulation that all sales to parties other than the Government Departments and the Public Sector Undertakings, require the prior approval of the Government.

**Agreement with UNDP for the development of civil Aviation Training Centre, Allahabad**

1029. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any agreement has been signed with the United Nations Development Programme (UNDP) for the development of Civil Aviation Training Centre at Allahabad;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what is the amount of financial assistance to be given by the UNDP for the project?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) UNDP assistance amounting to $ 2,072,362 will be utilized to provide the Civil Aviation Training Centre the capability to develop trainimplement modern civil aviation training meeting ICAO standards catering *inter-alia* the disciplines of air traffic control, aeronautical communication, maintenance, operations and air port management in order to upgrade the centre's capability to international standards.

**राजस्थान सीमा से तस्करी**

1030. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, राजस्थान सीमा से तस्करी का कितना माल, हथियार, नशीली दवाएं आदि जब्त की गयीं और उनका मूल्य क्या हैं और इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राजस्थान सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये और उनके परिणामस्वरुप कितनी सफलता मिली हैं ;

(ग) सीमा पर स्थित गांवों के निवासियों को अब तक कितने पहचान-पत्र जारी किये जाते हैं ;

(घ) क्या यह सच हैं कि कुछ ग्राम वासियों के नाम इसके लिये पात्र व्यक्तियों की सूची से निकाल दिये गये हैं, जिन्हें पहचान-पत्र जारी किये जाने थे तथा उन्हें अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या यह भी सच हैं कि सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की मिलीभगत से सीमा पर तस्करी की गतिविधियां चल रही हैं ; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी हैं;

**कार्मिक, लोक शिकायत, और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) :** (क) वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान राजस्थान-पाकिस्तान सीमा पर बरामद किया गया तस्करी का माल और शस्त्र तथा गोला बारूद की मात्रा तथा उसका मूल्य संलग्न विवरण में दिया गया हैं (देखिए परिशिष्ट 149, अनुपत्र सं० 54) । बरामद किया गया सभी माल तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को क्रमशः सीमा शुल्क और राज्य पुलिस प्राधिकारियों को सौंपा गया है । गिरफ्तार किए गए तस्करों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करना राज्य पुलिस का काम हैं ।